हरियाणा सरकार

स्थानीय शासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 नवम्बर, 1996

सं0सा0का0नि0 103/सवि0/अनु0/309/96– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप–घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा के शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित बनाते हैं, अर्थात :–

भाग–I सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. ये नियम हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप–घ) सेवा नियम, 1966, कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2. ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ख) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक स्थानीय निकाय, हरियाणा;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ड़) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप–घ) सेवा।

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताए गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक की वह निम्नलिखित न हो :–

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1982, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति, हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजाबार) जांबिया, मलाबी, जायरे, और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आयो हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग) तथा (ड़) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षातकार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हों, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उससे सम्बन्धित न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

(5) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जब तक व नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को या उससे पहले सोलह वर्ष से कम अथवा पैंतीस वर्ष से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

(6) सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक, द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएं।

(7) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट (ख) के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में भर्ती प्राधिकारण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उसके लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए निखित रूप से कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :–

(क) दफ्तरी की दशा में,–

(i) सेवादारों, में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा से पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) सेवादार; चौकीदार; तथा सफाईकर्ता की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार नहीं देगी।

परिवीक्षा। 10. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि व सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया यगा हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी।

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवके पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया हो, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्ति न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संताषजनक न रहा हो तो, वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ;या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि, उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थाई रिक्ति होने की तिाि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो ,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवाओं में विभिन्न संवर्ग हों वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता अलग–अलग रूप से निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह ओर कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों कोदिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, सेवा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रति–नियुक्त किया जा सकता है :–

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी संगम या या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :'

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii)या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

छुट्टी, पैंशन, वेतन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में बताया गया है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, अब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति ताकि विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

डील देने की शक्तियां।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. सेवा को पंजाब राज्य (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 1963, सहित लागू किसी नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	दफ्तरी	1	1	2	800–15–1010–दक्षतारोध–20–1150रूपये।
2.	सेवादार	3	18	21	750–12–870–दक्षतारोध–14–940रूपये।
3.	चौकीदार	–	2	2	750–12–870–दक्षतारोध–14–940रूपये।
4.	सफाई कर्ता	–	1	1	750–12–870–दक्षतारोध–14–940रूपये।

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4
1.	दफ्तरी	–	(i)स्थानान्तरण द्वारा पांच वर्ष की नियमित सेवा नियुक्ति की दशा में मिडिल पास । (ii) पदोन्नति की दशा में सेवादार के रूपमें पांच वर्ष का अनुभव।
2.	सेवादार	मिडिल पास	मिडिल पास।
3.	चौकीदार	हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो	हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो।
4.	सफाई कर्ता	हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो	हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो।

परिशिष्ट ग
[देखिए नियम 14(1)]

क्रम सं0	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी यदि कोई है।
1	2	3	4	5	6	
1	दफ्तरी	निदेशक	1. छोटी शास्तियां :– (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा ; (iii)पदोन्नति रोकना; (iv) उपेक्षा या ओदशों की उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकाशं स्वामित्व या, नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्रधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v)संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना; 2. बड़ी शास्तियां :– (vi)संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना ; (vii)किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii)निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति कें लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसी ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा जिससे सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ; (iX)अनिवार्य सेवा निवृत्ति ; (X) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ; (Xi)सेवा पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए, सामान्यत : निरर्हता होगी।	निदेशक	आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग।	सरकार

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशो का स्वरूप		आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	अन्तिम तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3		4	5	
1	दफ्तरी	(i)	पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	निदेशक	आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग।	सरकार
		(ii)	सेवा के किसी सदस्य को उसकी अधिवार्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।			

टी0डी0 जोगपाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ,
स्थानीय शासन, विभाग।